राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अंकित कुमार सिंह, (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–129 / 2025 दायर दिनांक :–11.09.2025

जीसीएमएस नं.–2025 / 158 निर्णय दिनांक :–26.09.2025

श्री गोविन्द वैष्णव पुत्र श्री मोहनदास वैष्णव, निवासी–सेनावासा, बांसवाडा

प्रार्थी

बनाम

थानाधिकारी, पुलिस थाना–निठाउवा जिला डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री चन्दसिंह चूण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

2. विभागीय पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए ई.सी.एक्ट

अपराध धारा–3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

–:: आदेश ::–

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा वाहन पीकअप नं. आर.जे. 03 जीए 6753 को किराये पर ले जाने तथा पुलिस ने गलत तथ्यों का आधार लेकर थाना निठाउवा के एफआईआर नं. 0103 / 2025 अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में वाहन पीकअप नं. आर.जे. 03 जीए 6753 को जब्त किया गया है। उक्त वाहन पुलिस थाना निठाउवा में बरसात का समय होने से वाहन के इंजन पर प्रतिकुल प्रभाव पडने व उक्त वाहन पडा–पडा खराब होने से की पूर्ण सम्भावना होने से जब्त वाहन पीकअप नं. आर.जे.03 जीए 6753 को जमानत नामा एवं सुपुर्दगी नामा पर सुपुर्द किये जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए ई.सी.एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना निठाउवा से रिपोर्ट तलब की गयी। पुलिस थाना निठाउवा के कार्यालय पत्रांक 985 दिनांक 24.09.2025 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट शामील पत्रावली की गई। रिपोर्ट अनुसार दिनांक 26.08.2025 को सोहनलाल मीणा उर्वरक निरीक्षक, उप परियोजना निदेशक आतमा कार्यालय उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आतमा डूंगरपुर ने उपस्थित थाना हो एक रिपोर्ट पेश कि अवैध युरिया परिवहन करते 02 पीकअप को मय युरिया जब्त किया गया है। जिसकी सुचना आपके पत्र द्वारा सयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डूंगरपुर को दी गई जिसकी पालना में अवैध युरिया 120 बैग (45 किलो प्रती बैग) का मेरे द्वारा नमूने आहरित कर जब्ती की कार्यवाही की गई। उर्वरक का अवैध परिवहन करना उर्वरक परिवहन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 03 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उर्वरक का अवैध परिवहन / कालाबाजारी करने वाले दोषीयो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करावे।

वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 103 / 2025 धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रदिपसिंह सउनि के जिम्मे किया था मगर प्रकरण एसआर प्रवृत्ति का हो आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबधित होने पर प्रकरण का अनुसंधान उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की रैंक द्वारा किये जाने का प्रावधान होने से थाना हाजा पर अन्य कोई उप निरीक्षक पद का अधिकारी नही होने से प्रकरण हाजा का अनुसधान मन थानाधिकारी भरतलाल उ.नि. ने बखुद जिम्मे लिया। पुर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिबशुदा फर्द घटनास्थल निरीक्षण एवं ईस्तगासा 05 / 2025 तथा 06 / 2025 धारा 106 बीएनएसएस में दोनो पिकअपों की फर्द जप्ती, श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट आसपुर महोदय को भेजी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट, कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर को कार्यवाही हेतु भेजी गयी तहरीर पर लाल स्याही से प्रकरण सं अंकित कर शामिल पत्रावली किया गया । युरीया खाद की गुणवत्ता जॉचने हेतु सेंपल लेने के लिए जप्तशुदा युरीया खाद को जरिये फर्द सुपुर्दगी के कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर के उर्वरक निरीक्षक को सुपुर्द किया गया । उर्वरक निरीक्षक कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर द्वारा जप्तशुदा युरीया खाद की पर्चा मौका की कार्यवाही करते हुए युरीया खाद की गुणवत्ता जॉचने हेतु नियमानुसार नमुना सेम्पल आहरित किये गये। उर्वरक निरीक्षक कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर द्वारा मुर्तिबशुदा पर्चा मौका की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लाल स्याही से प्रकरण सं अंकित कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी सोहनलाल, एवं गवाहान विमलेश, किशोर नट, कालुराम हेडकानि, चश्मदिद गवाहान ओमप्रकाश हेड कानि, कानि हेमन्त नं 386, कानसिंह कानि 168 के बयान लेखबद्ध किये गये। प्रकरण के प्रार्थी श्री सोहनलाल मीणा उर्वरक निरीक्षक मय टीम द्वारा जप्तशुदा युरीया खाद की गुणवत्ता जॉचने हेतु नमुना सेम्पल आहिरत किये गये थे जिनकी जॉच रिपोर्ट की प्रति उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक, आतमा डूंगरपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक 517–18

जिला कलक्टर

डूंगरपुर

दिनांक 19.09.2025 की पालना में नमुना सेम्पल की जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो जप्तशुदा युरीया खाद के आहरित किये गये नमुनों को मानक स्तर का घोषित किया गया पिकअप चालक नारायण को अनुसंधान हेतु थाने पर तलब किया गया था मगर नारायण मीणा उपस्थित नही हुआ। पिकअप चालक गोविन्द वैष्णव को दिनांक 05.09.2025 को वास्ते अनुसंधान हेतु धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस सर्व कराया जाकर दिनांक 11.09.2025 तक अनुसंधान हेतु थाने पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था मगर गोविंद वैष्णव नियत दिनांक तक थाने पर उपस्थित नही हुआ। हर दोनो पिकअप चालको को वास्ते अनुसंधान हेतु बार बार तलब किया गया था मगर हर दोनो पिकअप चालक वास्ते अनुसंधान हेतु उपस्थित नही हुए। जिस पर हर दोनो पिकअप चालको की तलाश की गयी तो हर दोनो पिकअप चालक अपनी सकुनत से रूहपोश मिले। दिनांक 23.09.2025 को हर दोनो पिकअप चालक अजखुद थाना पर उपस्थित आये जिनसे पुछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। हर दोनो पिकअप चालको द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में बिना कोई वैध कागजातों के युरीया खाद का परिवहन करने से धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाने से हर दोनो को प्रथक प्रथक धारा 35(1)(2) – बीएनएसएस का नोटिस दिया जाकर चेक लिस्ट जारी कर जरिये फर्द गिरफतारी के प्रथक प्रथक गिरफतार किये गये प्रकरण हाजा में जप्तशुदा पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 6753 का वाहन स्वामी तथा चालक, दोनो ही अभियुक्त गोविंद वैष्णव हो अभियुक्त गोविन्द ने अपने वाहन के कागजात पेश किये जो जरिये फर्द पेशकशी कागजात के तहविल पुलिस जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 3644 का वाहन स्वामी किशोर कलाल तलबिदा से पुछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। पिकअप नम्बर आरजे 03 जीए 3644 के वाहन स्वामी किशोर कलाल को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिय़ा जाकर जवाव लिया गया तो उक्त वाहन अपने स्वयं का हो वाहन पर चालक श्री नारायण पिता कमला मीणा निवासी बोरपी खेडा होना लिखित में जवाव पेश किया एवं वाहन के कागजात पेश किये जो जरिये फर्द पेशकशी कागजात के तहविल पुलिस लिये गये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 3644 के वाहन स्वामी श्री किशोर कुमार कलाल पिता अमरजी कलाल निवासी– डूंगर पुलिस थाना खमेरा जिला बासवाडा द्वारा अपने वाहन पिकअप में चालक नारायण तथा एक अन्य पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 6753 से सावला में बादल ट्रेडर्स गोदाम से बिना परमिट एवं लाईसेंस के अवैध रूप से भारी मात्रा में युरीया खाद भरकर मंगवाने से अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाने से अभियुक्त किशोर कुमार को धारा 35(1)(2) बीएनएसएस का नोटिस दिया जाकर चेक लिस्ट जारी कर जरिये फर्द गिरफतारी के गिरफतार कर किया गया। दौराने अनुसंधान हर तिनो अभियुक्तगणो ने मन आईओ को स्वैच्छा से प्रथक प्रथक सुचना दी जो धारा 23 (2) भारतिय साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की जाकर मुताबिक फर्द सुचना अभियुक्तगणो के द्वारा युरीया खाद खरिदने वाले स्थान तथा युरीया खाद खरीदकर ले जाने वाले स्थान की तस्दीक की गयी । प्रकरण हाजा में हर तिनो अभियुक्तगणो से और कोई अनुसंधान करना शेष नही होने से न्यायालय में पेश किये गये जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गये है । प्रकरण हाजा में जप्तशुदा पिकअप नं आरजे 03 जीए 6753 का प्रकरण के अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही होना अंकित किया है ।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वाहन पीकअप नं. आर.जे. 03 जीए 6753 उक्त प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नही आता है तथा 6ए एवं धारा 3/7 के किसी अपराध के तहत् शास्ति के अधिन दण्डनीय अपराध कारित नही किया है। अतः सुपुर्दगीनामा व उचित जमानत पर वाहन रिलिज करने का कथन किया। पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण में वाहन का अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही बताया है।

मैंरे द्वारा पत्रावली एवं पुलिस विभाग की रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं मनन किया गया। वाहन पीकअप नं. आर.जे. 03 जीए 6753 पुलिस थाना निठाउवा के प्र.सं. 0103/2025 में जब्त किया जाना, रिकार्ड अनुसार होना प्रमाणित है। पुलिस विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नही होना पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। अतः प्रार्थी का वाहन पीकअप नं. आर.जे. 03 जीए 6753 मुक्ति/रिलीज प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। एफआईआर नं.0103/2025 थाना निठाउवा में जब्तशुदा वाहन पीकअप नं. आर.जे. 03 जीए 6753 की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर एवं तलबी पर पेश करने की शर्त पर रूपये 1,00,000/– लाख की तस्दीकशुदा जमानत पेश करने पर रिलिज़ किया जाने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी निठाउवा नियमानुसार वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करें। आदेश की प्रमाणित प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना निठाउवा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर